निबंधन संख्या पी0टी0-40

# बिहार गजट
## असाधारण अंक
## बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

**16 श्रावण 1941 (श0)**
**(सं0 पटना 930) पटना, बुधवार, 7 अगस्त 2019**

गृह विभाग
(आरक्षी शाखा)

**अधिसूचनाएं**
**7 अगस्त 2019**

सं0 8/ब2–10–16/2019–6455/गृ0आ0—भारतीय संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक के साथ पठित बिहार पुलिस अधिनियम, 2007 की धारा–55 सह–पठित धारा–97 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बिहार राज्यपाल, बिहार पुलिस हस्तक, 1978 (समय–समय पर यथा संशोधित) में तुरन्त के प्रभाव से निम्नलिखित संशोधन करते हैं:–

**संशोधन**

**उक्त हस्तक में–**

1. नियम–655 (क) को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा:–
   "(क) मुख्य परीक्षा के आधार पर तैयार की जानेवाली अंतिम मेधा सूची हेतु अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं महिला वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम अर्हतांक 32%, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम अर्हतांक 34%, पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए 36.5% एवं सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम अर्हतांक 40% होगा।"

2. नियम–658 के उपनियम (V) में, पुरूष अभ्यर्थियों के लिए एक मील दौड़ के लिए समय सीमा **''छः मिनट''** को **''छः मिनट तीस सेकेण्ड''** द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा। छः मिनट तीस सेकेण्ड से अधिक समय लेने वाले पुरूष अभ्यर्थी असफल घोषित किये जायेंगे।

3. नियम–658 के उपनियम (V)(ग) में प्रथम वाक्य के बाद निम्नलिखित वाक्य अन्तःस्थापित किया जायेगा:–''अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की महिला अभ्यर्थियों की ऊँचाई न्यूनतम 155 से0मी0 होनी चाहिए।''

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
रंजन कुमार सिन्हा,
सरकार के अपर सचिव।

**7 अगस्त 2019**

सं0 8/ब2–10–16/2019–6456/गृ0आ0,एतद् द्वारा गृह विभाग (आरक्षी शाखा) की अधिसूचना सं0–6455, दिनांक 7 अगस्त 2019 का निम्नलिखित अंग्रेजी अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से प्रकाशित किया जाता है, जिसे भारत–संविधान के अनुछेद–348 के खण्ड–(3) के अन्तर्गत अंग्रेजी भाषा में उक्त अधिसूचना का प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
रंजन कुमार सिन्हा,
सरकार के अपर सचिव।

---

## *The 7th August 2019*

No.8/B2-10-16/2019-6455/H.P. —In exercise of powers conferred under the proviso to Artical 309 of the Constitution of India read with section 55 and section 97 of Bihar Police Act, 2007 the Governor of Bihar is hereby pleased to make the following amendments in the Bihar Police Manual, 1978 (as amended from time to time) with immediate effect-

**Amendments**

In the Manual -

1. Rule 655 A shall be substituted by following :-
   "(a) For preparation of final merit list according to the main examination the minimum qualifying marks for the candidates of Scheduled Castes/Scheduled tribes and Women shall be 32%, for the candidates of Extremely Backward category 34%, for the candidates of Backward category 36.5% and for the candidates of General category 40%.
2. In Sub-Rule (v) of Rule 658 **"within 6 minutes"** time limit for one mile run for male candidates shall be substituted by **"within 6 minutes 30 seconds"** Male candidates, taking more than six minutes thirty seconds shall be declared unsuccessful.
3. After first sentence of Sub-Rule (v) (c) of Rule 658 following sentence shall be inserted-

"For women candidates of Scheduled Casts/Scheduled Tribes Minimum height shall be 155 cm."

By order of the Governor of Bihar,
RANJAN KUMAR SINHA,
*Additional Secretary to Goverment.*

---

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 930-571+200-डी0टी0पी0।
**Website: http://egazette.bih.nic.in**

निबंधन संख्या पी0टी0-40


# बिहार गजट
## असाधारण अंक
## बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

**9 भाद्र 1939 (श0)**

**(सं0 पटना 773) पटना, वृहस्पतिवार, 31 अगस्त 2017**


गृह विभाग (आरक्षी शाखा)

**अधिसूचना**

**30 अगस्त 2017**

सं० 4/ब1-101/2004-7025—भारतीय संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक के साथ पठित बिहार पुलिस अधिनियम, 2007 की धारा-55 सह-पठित धारा-97 में वर्णित प्रावधान के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बिहार के राज्यपाल, बिहार आरक्षी हस्तक, 1978 (समय-समय पर यथा संशोधित) में निम्नलिखित संशोधन तुरन्त प्रभाव से करते हैं :-

संशोधन

उक्त हस्तक में :-

(1) नियम 653 के उप नियम (क), (ख) एवं (ग) क्रमशः निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किए जाएंगेः-

(क) जुलाई में पुलिस महानिदेशक, बिहार, सहायक अवर निरीक्षकों की प्रोन्नति द्वारा और सीधी भर्त्ती द्वारा भरे जाने वाले पुलिस अवर निरीक्षकों एवं समकक्ष पदों की संख्या की आरक्षण कोटिवार गणना कराएंगे । पुलिस अवर निरीक्षक की कोटि में सहायक अवर निरीक्षक से प्रोन्नति द्वारा एवं सीधी भर्त्ती द्वारा भरे जाने वाले पदों का अनुपात 1:1 होगा परन्तु उर्दू जानकार अवर निरीक्षक के पदों को सीधी भर्त्ती द्वारा भरा जायेगा।

(ख) पुलिस अवर निरीक्षक के कुल रिक्त पदों में से प्रोन्नति के आधार पर भरे जाने वाले पदों को चिन्हित करने के पश्चात पुलिस अवर निरीक्षक की सीधी नियुक्ति से भरे जाने वाले पदो का 1% पद राष्ट्रीय/अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर खेल-कूद में सराहनीय प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों के लिए आरक्षित होगा । इनकी नियुक्ति सरकार द्वारा अलग से यथानिर्धारित प्रक्रिया के तहत् होगी ।

(ग) सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने वाले पुलिस अवर निरीक्षकों एवं समकक्ष पदों पर नियुक्ति के लिए अभ्यर्थियों का चयन बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग अधिनियम,

2016 (बिहार अधिनियम, 6, 2016) के अधीन गठित बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग द्वारा संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से किया जाएगा । आयोग को विहित निदर्शन प्रपत्र (प्रोफार्मा) में एक अध्यपेक्षा भेजी जाएगी, जिसमें आरक्षण कोटिवार रिक्त पदों की संख्या की सूचना दी जाएगी । आयोग प्रश्न पत्रों का चयन, परीक्षा का संचालन, उत्तर पुस्तिकाओं की जांच करने हेतु परीक्षकों की नियुक्ति, शारीरिक दक्षता परीक्षा का आयोजन करेगा एवं सफल अभ्यर्थियों की अनुशंसा सूची भेजेगा ।

(2) नियम 654 के उप नियम (क), (ख), (ग), (घ) एवं (ड.) निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किये जाएंगेः-

(क) पुलिस महानिदेशक, बिहार से प्राप्त अध्यपेक्षा के अनुसार बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग रिक्तियों को व्यापक रूप से परिचारित होने वाले समाचार पत्रों एवं वेबसाईट (website) के माध्यम से विज्ञापित कराएगा । अभ्यर्थियों को विज्ञापन में दिये गये निदेशों एवं शर्तों का पालन करना होगा। अभ्यर्थियों से परीक्षा फीस, जो आयोग द्वारा नियत किया जाय, लिया जायेगा । अभ्यर्थीगण अपना आवेदन विहित प्रपत्र में, बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग द्वारा प्रकाशित किये जाने वाले विज्ञापन में निहित शर्तों के अनुसार बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग के वेबसाईट (website) पर ऑनलाईन (online) समर्पित करेंगे ।

(ख) बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग सभी अभ्यर्थियों के लिए लिखित प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित करेगा । लिखित परीक्षा दो चरणों में होगी यथा-प्रारम्भिक एवं मुख्य परीक्षा । लिखित परीक्षा के सभी पत्र बहुविकल्पीय प्रश्नों पर आधारित होंगे । प्रथम चरण में प्रारम्भिक परीक्षा आयोजित की जाएगी । प्रारम्भिक परीक्षा में 200 अंकों का एक पत्र होगा जिसमें प्रश्नों की कुल संख्या-100 होगी एवं परीक्षा की अवधि दो घंटे की होगी । इसमें 30 प्रतिशत से कम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी मुख्य परीक्षा के लिए असफल घोषित किए जाएंगे । उक्त पत्र में सामान्य ज्ञान एवं समसामयिक मुद्दों से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे । प्रारम्भिक परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर रिक्तियों के 20 गुना सफल अभ्यर्थियों का चयन आरक्षण कोटिवार किया जाएगा । मुख्य लिखित परीक्षा हेतु अर्हता प्राप्त अभ्यर्थियों की पर्याप्त संख्या में अनुपलब्धता की दशा में आयोग द्वारा उक्त अनुपात उपयुक्त रूप से कम किया जा सकेगा ।

(ग) प्रथम चरण में आयोजित प्रारम्भिक परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा में सम्मिलित होने का अवसर प्रदान किया जाएगा । मुख्य परीक्षा में दो पत्र होंगे । प्रथम पत्र 200 अंकों का सामान्य हिन्दी का होगा जिसमें 100 प्रश्न होंगे एवं न्यूनतम अर्हतांक 30 प्रतिशत अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा अन्यथा उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा । सामान्य हिन्दी पत्र के लिए परीक्षा की अवधि दो घंटे की होगी । सामान्य हिन्दी पत्र का प्राप्तांक मेधा निर्धारण में नहीं जोड़ा जाएगा। द्वितीय पत्र सामान्य अध्ययन, सामान्य विज्ञान, नागरिक शास्त्र, भारतीय इतिहास, भारतीय भूगोल, गणित एवं मानसिक योग्यता जांच से संबंधित होगा । द्वितीय पत्र का पूर्णांक 200 होगा जिसमें प्रश्नों की कुल संख्या-100 होगी एवं परीक्षा की अवधि दो घंटे की होगी । दोनों चरणों की परीक्षा में प्रत्येक एक गलत उत्तर के लिए 0.2 अंक काटा जाएगा । उत्तर पुस्तिका दो प्रतियों में होगी, जिसकी एक प्रति आयोग के पास सुरक्षित रखी जाएगी ।

(घ) द्वितीय चरण में आयोजित होने वाली मुख्य लिखित परीक्षा के आधार पर रिक्तियों के छः (6) गुना अभ्यर्थियों का चयन कोटिवार मेधानुसार शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए किया जाएगा । अर्हित अभ्यर्थियों की अपेक्षित शारीरिक दक्षता परीक्षा बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग द्वारा स्वयं ली जाएगी, जिसमें मात्र उत्तीर्ण होना आवश्यक होगा । शारीरिक दक्षता परीक्षा हेतु अर्हता प्राप्त अभ्यर्थियों की पर्याप्त संख्या में अनुपलब्धता की दशा में आयोग द्वारा उक्त अनुपात उपयुक्त रूप से कम किया जा सकेगा । शारीरिक दक्षता परीक्षा में निर्धारित माप एवं अन्य जांच के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स आधारित पारदर्शी प्रक्रिया तथा आधुनिक तकनीकों पर आधारित

कम्प्यूटरीकृत पद्धतियाँ अपनाई जाएगी । पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी भी की जाएगी। आयोग प्रत्येक दिन शारीरिक दक्षता परीक्षा में सफल अथवा असफल होने की सूचना सभी अभ्यर्थियों को देगा और असफल अभ्यर्थियों से शारीरिक माप एवं जाँच निर्देशन पत्र (Master Chart) पर हस्ताक्षर की अपेक्षा करेगा । यदि कोई अभ्यर्थी शारीरिक दक्षता परीक्षा के परिणाम से असंतुष्ट हो तो वह परीक्षा की तिथि से 03 दिनों के अंदर अपनी आपत्ति आयोग के समक्ष दर्ज करा सकेगा । आयोग आपत्ति संबंधी अभ्यावेदन की सुनवाई करते हुए मामले का निष्पादन आपत्ति दर्ज करने के दिन करेगा ।

(ड.) अंतिम रूप से सफल अभ्यर्थियों की मेधा सूची मुख्य लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर आरक्षण कोटिवार तैयार की जाएगी । लिखित परीक्षा में दो या दो से अधिक अभ्यर्थियों के समान अंक प्राप्त करने की दशा में मेधा सूची में उनके स्थान का निर्धारण उनकी जन्म तिथि के आधार पर किया जाएगा अर्थात् उम्र में वरीय अभ्यर्थी मेधा क्रम में ऊपर रहेंगे ।समान अंक प्राप्त करने एवं समान जन्म तिथि वाले दो या दो से अधिक अभ्यर्थियों की दशा में मेधा सूची में उनके स्थान का निर्धारण उनकी शैक्षणिक योग्यता के आधार पर निर्धारित किया जाएगा अर्थात् तुलनात्मक दृष्टिकोण से अधिक शैक्षणिक योग्यताधारी अभ्यर्थी मेधा क्रम में ऊपर रहेंगे । इसके बावजूद यदि एक से अधिक अभ्यर्थी समान प्राप्तांक एवं समान जन्मतिथि वाले हों, तो ऐसे अभ्यर्थियों की वरीयता उनके दसवीं बोर्ड के प्रमाण-पत्र में यथाउल्लिखित नाम के अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम के अनुसार निर्धारित की जाएगी।

(3) नियम 655 निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा :-

(क) मुख्य परीक्षा के आधार पर तैयार की जाने वाली अंतिम मेधा सूची हेतु अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिये न्यूनतम अर्हतांक 33.5%, पिछड़ा वर्ग एवं अत्यन्त पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम अर्हतांक 35% तथा सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम अर्हतांक 40% होगा ।

(ख) बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग न्यूनतम अर्हतांक प्राप्त करने वाले एवं शारीरिक दक्षता परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की मेधा के आधार पर सूची तैयार करेगा और पुलिस महानिदेशक, बिहार से प्राप्त अध्यपेक्षा के अनुसार आरक्षण कोटिवार एवं मेधा अंकों के घटते क्रम में नामों की अनुशंसा करेगा ।

(ग) अभ्यर्थियों का चयन संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर मेधा एवं विकल्प के अनुरूप किया जाएगा ।

(4) नियम 656 का उप नियम (क) निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगाः-

(क) चयन - बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग रिक्तियों की संख्या के आधार पर

(i) सायुध आरक्षी के प्रारक्ष अवर निरीक्षकों,

(ii) निरायुध आरक्षी के अवर निरीक्षकों, उर्दू जानकार अवर निरीक्षक सहित एवं

(iii) वितंतु के अवर निरीक्षकों के पदों पर नियुक्ति हेतु पृथक रूप से सर्वोत्तम अभ्यर्थियों का चयन करेगा।

(5) नियम 648 अ, 651 एवं 657 में प्रयुक्त शब्द ''बिहार कर्मचारी चयन आयोग'' शब्द ''बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग'' द्वारा प्रतिस्थापित किये जाएंगे।

(6) नियम 658 के उप नियम (iii) एवं (v) निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किए जाएंगे :-

(iii) वह किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय के स्नातक परीक्षा या राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त उसके समकक्ष परीक्षा अवश्य उत्तीर्ण हों ।

(v) सिर्फ ऐसे अभ्यर्थी, जो निम्नलिखित दौड़ में सफल होंगे, वही इस उप नियम के खंड (क) (ख) एवं (ग) में दिये गये अन्य सभी माप तथा जांच में सम्मिलित होने का हकदार होंगेः-

| दौड़ की जांच | अवर निरीक्षक | प्रारक्ष अवर निरीक्षक |
|---|---|---|
| एक मील दौड़ (पुरूष के लिए) | अधिकतम छः मिनट | अधिकतम छः मिनट |
| एक किलोमीटर | अधिकतम छः मिनट | अधिकतम छः मिनट |

(महिला के लिए)

छः मिनट से अधिक समय लेने वाले अभ्यर्थी असफल घोषित किए जाएंगे ।

(क) पुरूष अभ्यर्थियों की ऊँचाई एवं सीना कम-से-कम निम्नवत होनी चाहिये :-

| | ऊंचाई (न्यूनतम) | सीना (न्यूनतम) बिना फुलाए | फुलाकर |
|---|---|---|---|
| (1) सामान्य वर्ग, पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग | 165 से.मी. | 81 से.मी. | 86से.मी. |
| (2) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति | 160 से.मी. | 79 से.मी. | 84से.मी. |

(फुलाने के बाद सीना की मापी में कम से कम 5 से0मी0 का अन्तर होना अनिवार्य होगा।)

(ख) पुरूष अभ्यर्थियों को निम्न अनुसार शारीरिक दक्षता परीक्षा में सफल होना अनिवार्य होगा:-

| **जांच** | **अवर निरीक्षक** | **प्रारक्ष अवर निरीक्षक** |
|---|---|---|
| ऊँची कूद | न्यूनतम 4 फीट | यूनतम 4 फीट 6 इंच |
| लम्बी कूद | न्यूनतम 12 फीट | न्यूनतम 15 फीट |
| गोला फेंक (16 पाउण्ड) | न्यूनतम 16 फीट | न्यूनतम 20 फीट |

प्रत्येक स्पर्धा के लिए केवल तीन अवसर दिया जाएगा ।

(ग) महिला अभ्यर्थियों की ऊंचाई न्यूनतम 160 से.मी. तथा वजन न्यूनतम 48 कि.ग्रा. होना चाहिए । महिलाओं के सीना की मापी नहीं की जाएगी । साथ ही निम्न विधाओं में महिला अभ्यर्थियों को सफल होना अनिवार्य होगा :-

| **जांच** | **अवर निरीक्षक** | **प्रारक्ष अवर निरीक्षक** |
|---|---|---|
| ऊँची कूद | न्यूनतम 3 फीट | न्यूनतम 3 फीट |
| लम्बी कूद | न्यूनतम 9 फीट | न्यूनतम 9 फीट |
| गोला फेंक (12 पाउण्ड) | न्यूनतम 10 फीट | न्यूनतम 10 फीट |

प्रत्येक स्पर्धा के लिए केवल तीन अवसर दिया जाएगा ।

(7) नियम- 658(Vi) बिहार पुलिस हस्तक, 1978 भाग III का परिशिष्ट- 38 एवं अन्य सुसंगत नियमादि उपर्युक्त कंडिकाओं के अनुसार संशोधित समझा जाएगा ।

(8) बिहार पुलिस हस्तक नियम-1235 से संबंधित परिशिष्ट-92 के कंडिका-2 (ख) को निम्नवत् प्रतिस्थापित किया जाता है:-

(i) वितंतु संगठन में पुलिस अवर निरीक्षक (परिचालक) एवं पुलिस अवर निरीक्षक (तकनीशियन) के 50% पद सीधी नियुक्ति से अवर निरीक्षक एवं समकक्ष पदों की नियुक्ति हेतु आयोजित होनेवाली संयुक्त परीक्षा से भरे जाएंगे ।

(ii) वितंतु संगठन में नियुक्ति हेतु यथासंशोधित पुलिस हस्तक नियम 654 में वर्णित प्रावधान के आलोक में बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित करेगा एवं आयोग की अनुशंसा के आधार पर वितंतु संगठन द्वारा नियमानुकूल सीधी नियुक्ति की कार्रवाई की जाएगी ।

(iii) पुलिस अवर निरीक्षक (परिचालक) एवं पुलिस अवर निरीक्षक (तकनीशियन) पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता भौतिकी विषय के साथ बी.एस.सी. अथवा रेडियो/ टेलिकॉम/ इल्केट्रिकल/ इलेक्ट्रॉनिक्स/ इन्स्ट्रूमेन्टेशन इंजीनियरिंग में स्नातक डिग्री आवश्यक होगा एवं सरकार द्वारा समय-समय पर यथा-संशोधित योग्यता मान्य होगा।

(iv) पुलिस अवर निरीक्षक (परिचालक) एवं पुलिस अवर निरीक्षक (तकनीशियन) के पद के अभ्यर्थियों के लिए पुलिस हस्तक नियम, 654 (यथासंशोधित) में वर्णित क्रमानुसार (क) प्रारम्भिक लिखित परीक्षा (ख) मुख्य लिखित परीक्षा एवं (ग) शारीरिक दक्षता परीक्षा ली जाएगी । प्रारम्भिक लिखित परीक्षा एवं शारीरिक दक्षता परीक्षा उपरोक्त वर्णित विधिक नियम एवं शर्तों के अनुसार ली जाएगी । शारीरिक दक्षता परीक्षा का स्तर वही होगा, जो पुलिस अवर निरीक्षक के लिए निर्धारित है ।

(v) पुलिस अवर निरीक्षक (परिचालक) एवं पुलिस अवर निरीक्षक (तकनीशियन) पदों के अभ्यर्थियों के लिए पुलिस हस्तक नियम, 654 (ड.) (यथासंशोधित) में वर्णित पत्रों के अतिरिक्त 200 अंकों का अंग्रेजी का एक पत्र होगा, जिसमें 100 प्रश्न होंगे एवं

न्यूनतम अर्हतांक 30 प्रतिशत अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा, अन्यथा उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा । अंग्रेजी पत्र के लिए परीक्षा की अवधि दो घंटे की होगी। अंग्रेजी पत्र का प्राप्तांक मेधा निर्धारण में नहीं जोड़ा जाएगा ।

(vi) सीधे भर्ती पुलिस अवर निरीक्षक (परिचालक) एवं पुलिस अवर निरीक्षक (तकनीशियन) को बिहार पुलिस हस्तक नियम-1232 के अनुसार प्रारम्भिक प्रशिक्षण प्राप्त करना होगा।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,<br>रंजन कुमार सिन्हा,<br>सरकार के अपर सचिव।

*The 30th August 2017*

No. 4/B1-101/2004-7025—In exercise of powers conferred under the proviso to Article 309 of the Constitution of India read with section 55 and section 97 of Bihar Police Act, 2007 the Governor of Bihar is hereby pleased to make the following amendments in the Bihar Police Manual, 1978 (as amended from time to time) with immediate effect –

## Amendments

(1) Sub-rule (a), (b) and (c) of P.M. Rule-653 shall be substituted as following :-

(a) In July, the Director General of Police, Bihar will get calculated the number of vacant posts of Sub-Inspector reservation category wise to be filled up by promotion from ASI rank and those by direct recruitment. The proportion of posts of Sub-Inspector of Police filled up by promotion of ASI and by direct recruitment shall be 1:1 however post of Urdu knowing Sub-Inspector will be filled up by direct recruitment.

(b) After identifying number of posts of Sub-Inspector of Police to be filled through promotion, 1% posts of number of posts of Sub-Inspector of Police to be filled through direct recruitment shall be reserved for sports persons, who have shown commendable performance at national/international level competitions. They shall have to be recruited separately as per provisions laid down by the State Government.

(c) The selection of candidates for appointment to the posts of Sub-Inspector of Police by direct recruitment shall be made by the Bihar Police Sub-ordinate Services Commission constituted under Bihar Police Sub-ordinate Services Commission Act 2016 (Bihar Act 6, 2016) through combined competitive examination. A requisition shall be sent to the Bihar Police Sub-ordinate Services Commission in the prescribed proforma, in which information regarding number of vacant posts and category wise reservation will also be mentioned. The Bihar Police Sub-ordinate Services Commission shall set question papers, conduct examinations, appoint examiners to examine the answer-sheets and shall recommend the list of successful candidates.

(2) Sub-rule (a), (b), (c), (d) and (e) of P.M. Rule 654 shall be substituted by the following :-

(a) Bihar Police Sub-ordinate Services Commission shall advertise the number of vacancies in widely circulated newspapers and through website as per requisition received from the Director General of Police, Bihar. The candidates shall abide by the directions and conditions contained in the advertisement. Examination fees shall be charged from the candidates, which may be fixed by

the commission. The candidates shall submit their application forms in the prescribed proforma online thorough the website of the Bihar Police Sub-ordinate Services Commission as per the terms and conditions contained in the advertisement.

(b) The Bihar Police Sub-ordinate Services Commission shall hold written competitive examination. Written examination shall be conducted in two phases i.e. preliminary and main examination. All the examination papers of written examination shall be based on multiple choice questions. Preliminary examination shall be conducted in the first phase. In the preliminary examination, there will be one paper of 100 questions of 200 marks and the duration of examination shall be of two hours. Candidates securing less than 30% (percent) marks in this paper shall be declared unfit to appear for the main examination. In this paper, questions shall be based on General Knowledge and Current Events. 20 times candidates of the existing vacancies shall be selected category wise on the basis of marks obtained in the preliminary examination. In case of unavailability of sufficient number of eligible candidates for the main written examination, the Commission can reduce the above mentioned proportion suitably.

(c) The successful candidates in the first phase of preliminary examination shall be provided an opportunity to appear in the main written examination. Main written examination shall comprise of two papers. I$^{st}$ paper will be of General Hindi, having 100 questions of 200 marks, in which it will be compulsory to secure minimum qualifying 30% (percent) marks otherwise they will be declared unfit. The duration of examination of General Hindi paper shall be of two hours. The marks obtained in General Hindi paper shall not be added in the determination of merit. Questions in 2$^{nd}$ paper shall be related to General Studies, General Science, Civics, Indian History, Geography of India, Mathematics and Mental Ability Tests. It will have 100 questions of 200 marks and the duration of examination shall be of two hours. 0.2 marks shall be deducted for each and every wrong answer in both phases of examinations. Answer-sheets shall be in two copies, in which one copy shall be kept as reserve in the Commission.

(d) In 2$^{nd}$ phase candidates shall be selected six times of the existing vacancies in each category as per merit for physical eligibility test (PET) on the basis of main written examination. The Bihar Police Sub-ordinate Services Commission shall conduct the Physical Eligibility Tests itself which will be qualifying only. In case of unavailability of eligible candidates for Physical Eligibility Tests, said proportion may be reduced by the commission. For physical measurements and other required tests in PET, transparent procedure based on electronic and computerized methods based on modern technology will be adopted. Videography of the entire procedure will also be done. The Commission shall inform all the candidates regarding their success and failure in PET everyday and the unsuccessful candidates shall be required to put their signature on the Master-Chart. Any candidate, dissatisfied with the result of PET, shall place his objections before the Commission within 03 days. The Commission shall hear the representations and dispose the representations the same day.

(e) Category wise merit list of candidates successful in all tests will be prepared on the basis of marks obtained in main written examination. If two or more than two candidates secure equal marks in the written examination their inter-se rank in the merit list shall be decided on the basis of their date of birth. Thus, elder candidate shall remain above in order in the merit list. In case of similar dates of birth of two or more than two candidates, their rank shall be decided on the basis of their educational qualifications. It means the candidate having higher educational qualifications, shall remain above in the merit list. But besides all these, if more than one candidate are on same footage their inter-se ranks shall be decided as per English alphabet of their names as mentioned in their matriculation certificate.

(3) Rule- 655 shall be substituted by as under:-

(a) The minimum qualifying marks for the candidates of Scheduled Castes and Scheduled Tribes shall be 33.5%, for the candidates of Backward category and Extremely Backward category 35% and for the candidates of General category 40% for the final merit list.

(b) Bihar Police Sub-ordinate Services Commission shall prepare a list of successful candidates, qualified in PET and securing minimum qualifying marks and shall recommend the names, reservation category wise and merit wise in the descending order according to the requisition received from Director General of Police, Bihar.

(c) The candidates shall be selected on the basis of Combined Competitive Examination as per merit and preference.

(4) Sub-rule (a) of Rule-656 shall be substituted by as under –

(a) Selection- Bihar Police Sub-ordinate Services Commission shall select separately the best candidates on the basis of number of vacancies for appointment to the posts of (i) Reserved Sub-Inspector of Armed Police, (ii) Sub-Inspectors of unarmed Police including Urdu knowing Sub-Inspectors and (iii) Sub-Inspector of Wireless Organization.

(5) "Bihar Staff Selection Commission" used in Rule 648 A, 651 and 657 shall be substituted by the words "Bihar Police Sub-ordinate Services Commission".

(6) The Sub-rule (iii) and (v) of Rule-658 shall be substituted by the following-

(iii) He must have passed the degree examination from a recognized university or equivalent examination recognized by State Government.

(v) Only such candidates, who shall be successful in the following test of run shall be eligible to appear in the Physical Eligibility Test given in clause (a) (b) and

(c) of this sub-rule–

| | **Test of Run** | **Sub-Inspector** | **Reserve Sub-Inspector** |
|---|---|---|---|
| (For males) | One mile run | Within six minutes | Within six minutes |
| (For females) | One Kilometer | Within six minutes | Within six minutes |

The candidates, taking more than six minutes of time, shall be declared unsuccessful.

(a) The male candidates should possess the following minimum height and chest –

| | Height (Minimum) | Chest (Minimum) | |
|---|---|---|---|
| | | Without expansion | With expansion |
| 1. General, Backward and Extremely Backward categories | 165 cm | 81 cm | 86 cm |
| 2. Scheduled Caste/ Scheduled Tribe | 160 cm | 79 cm | 84 cm |

(Minimum difference in the measurement after expansion of chest must be 5 cm.)

(b) The male candidates must pass the following tests in PET –

| **Events/Test** | **Sub-Inspector** | **Reserve Sub-Inspector** |
|---|---|---|
| High Jump | Minimum 4 feet | Minimum 4 feet 6 inch. |
| Long Jump | Minimum 12 feet | Minimum 15 feet |
| Shot Put throw (16 lbs) | Minimum 16 feet | Minimum 20 feet |

For every event, only three chances shall be given.

(c) The female candidates should possess minimum 160 cm height and 48 Kg weight. Measurement of chest of female candidates is not required. Besides that, the female candidates must pass in the following tests/events of PET –

| **Tests** | **Sub-Inspector** | **Reserve Sub-Inspector** |
|---|---|---|
| High Jump | Minimum 3 feet | Minimum 3 feet |
| Long Jump | Minimum 9 feet | Minimum 9 feet |
| Shot Put throw (12 lbs) | Minimum 10 feet | Minimum 10 feet |

For every event, only three chances shall be given.

(7) Rule- 658(vi) Appendix-38 of Bihar Police Manual, 1978, Part III and other relevant rules shall be treated as amended as per above paragraphs.

(8) Para-2 (b) of Appendix-92, as concerned to P.M. Rule-1235 shall be substituted by as under:-

(i) Appointment to the 50% posts of Sub-Inspector (Operator) and Sub-Inspector (Technical) of wireless organization, Bihar Police shall be made through Combined Competitive Examination, as being conducted for Sub-Inspector of Police and equivalent ranks.

(ii) For appointment in wireless unit, Bihar Police Sub-ordinate Services Commission shall conduct combined competitive Examination as per provision laid down in P.M. Rule-654, as amended and the wireless organization shall make appointment as per rule on the basis of recommendations of the commission.

(iii) The educational qualification for appointment to the posts of Sub-Inspector of Police (Operator) and Sub-Inspector of Police (Technical) shall be B.Sc. with Physics or B.Tech/B.E degree in Radio/ Telecommunication/ Electrical/Electronics/ Instrumentation Engg. and the qualification/ eligibility as amended from time to time by the Government shall be admissible.

(iv) The candidates for Sub-Inspector of Police (Operator) and Sub-Inspector of Police (Technical) shall have to appear in the (a) Preliminary Written Examination, (b) Main Written Examination and (c) Physical Eligibility Test as

per the provisions laid down in P.M. Rule-654 (as amended). The Preliminary Written Examination and Physical Eligibility Tests shall be conducted according to the above mentioned terms and conditions. The standard of Physical Eligibility Tests shall be the same, as prescribed for Sub-Inspector of Police.

(v) For the candidates of Sub-Inspector of Police (Operator) and Sub-Inspector of Police (Technical), besides the papers mentioned in PM Rule-654(e), as amended, there will be one extra paper of English having 100 questions of 200 marks, in which it will be compulsory to secure minimum qualifying 30% (percent) marks otherwise they will be declared unfit. The duration of examination of English paper shall be of two hours. The marks obtained in English paper shall not be added in the determination of merit.

(vi) The directly recruited Sub-Inspector of Police (Operator) and Sub-Inspector of Police (Technical) shall have to pass through basic training as per provisions laid down in P.M. Rule-1232.

By order of the Governor of Bihar
Ranjan Kumar Sinha,
*Addl. Secretary to Govt.*

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
बिहार गजट (असाधारण)773-571+1000-डी0टी0पी0।
**Website: http://egazette.bih.nic.in**